राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन, जिला बाडमेर

क्रमांक / रीडर / 2017 / 1505

दिनांक 3/7/17

प्रेषित :–

तहसीलदार सेड़वा

विषय :– राजस्व वाद सं. **35 / 2017** अनवान भूराराम वगैरा बनाम बांकाराम वगैरा पारित निर्णय की पालना करने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है इस न्यायालय में विचाराधीन उपरोक्त वाद में निर्णय दिनांक 30.06.2017 को पारित किया गया है। अतः उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति सलंग्न कर भिजवाई जा रही है। उक्त निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे।

सलंग्न :– निर्णय की प्रमाणित प्रति।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथराम, आर.ए.एस.***

1.भूराराम 2.जेठाराम पि. पदमाराम जाति कुम्हार, निवासी चौखपुरा(केकड़) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

1. बांकाराम 2.गंगाराम 3.नारणाराम 4. बाबूराम पि. पदमाराम जाति कुम्हार निवासी चौखपुरा, केकड़, तहसील सेड़वा 5.रूखमों पुत्री पदमाराम पत्नि देराजराम जाति कुम्हार, निवासी सदराम की बेरी 6.श्रीमती मिरगो पुत्री पदमाराम पत्नि लिछमणाराम, निवासी धानेरा(गुजरात) 7.अणसीदेवी पुत्री पदमाराम पत्नि पोलाराम जाति कुम्हार, निवासी हेमे की ढाणी, खारा डेर, (सिणधरी) 8.तहसीलदार सेड़वा 9.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बामड़ला।

वाद बाबत 88,188 RT Act.

मुकदमा नं. 35/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री ठाकराराम** एड. मिनजानिब मुदाई व श्री .... एड. मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है **कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम चौखपुरा (केकड़), तहसील सेड़वा के खसरा सं. 740/13 रकबा 25.00 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वादीगण प्रत्येक को 1/9–1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 7 प्रत्येक को 1/9 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।**.. बीज .. .. मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राथी तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 30.6.17 को जारी की गई।

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा .... सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

मुदई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अचोदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वर्जी महनताना वकील) पर खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 35/2017

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ.

अनवान वादीगण –

1.भूराराम 2.जेठाराम पि. पदमाराम
जाति कुम्हार, निवासी चौखपुरा(केकड़)
तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1. बांकाराम 2.गंगाराम 3.नारणाराम 4. बाबूराम पि. पदमाराम
जाति कुम्हार निवासी चौखपुरा, केकड़, तहसील सेड़वा
5.रूखमों पुत्री पदमाराम पत्नि देराजराम
जाति कुम्हार, निवासी सदराम की बेरी
6.श्रीमती मिरगो पुत्री पदमाराम पत्नि लिछमणाराम, निवासी धानेरा(गुजरात)
7.अणसीदेवी पुत्री पदमाराम पत्नि पोलाराम जाति कुम्हार,
निवासी हेमे की ढाणी, खारा डेर, (सिणधरी)
8.तहसीलदार सेड़वा 9.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे बामड़ला।

निर्णय

दिनांक :– 30/6/17

वादीगण के वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 मृतक पदमाराम के वारिसान है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 के पिता स्व. पदमाराम के नाम से मौजा ग्राम चौखपुरा, केकड़ तहसील सेड़वा में खसरा सं. 740/13 रकबा 25.00 बीघा आया हुआ है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा हिन्दु विधिनुसार है। जिसे वादीगण प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 7 प्रत्येक का 1/9 हिस्सा घोषित करवाने हेतु वाद पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

वादीगण का वाद रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली लोक अदालत कोर्ट कैम्प केकड़ में दिनांक 30.06.2017 को पेश हुई। प्रतिवादी उपस्थित हुए तथा वादीगण के वाद को स्वीकार किया। वाद के अनुसार प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा घोषित किया जावे।

पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 पिता स्व. पदमाराम के नाम से मौजा ग्राम

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

चौखपुरा, केकड़ तहसील सेड़वा में खसरा सं. 740/13 रकबा 25.00 बीघा आया हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 7 मृतक पदमाराम के वारिसान है। इसलिए उपरोक्त वादग्रस्त में उनका हक हिस्सा बनता है। इस प्रकार वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188 रा.का.अ. स्वीकार किया जाकर ग्राम **चौखपुरा (केकड़), तहसील सेड़वा के खसरा सं. 740/13 रकबा 25.00 बीघा का आया हुआ है। जिसमें वादीगण प्रत्येक को 1/9–1/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 7 प्रत्येक को 1/9 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।** इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.17 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प केकड़ में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन